



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86 |

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2013/चैत्र 5, 1935

No. 86 |

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2013/CHAITRA 5, 1935

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013

सं. एल.-1(3)/2009-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण एवं सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण एवं सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना)(तीसरा संशोधन)विनियम, 2013 है;

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 2 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 2 के खंड 1 के उपखंड ख (i) (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“(ङ) इस खंड के उपखंड (ख)(i) (क) से (ग) में निर्दिष्ट विवरण के विद्यमान उत्पादन केंद्र में उत्पादन कंपनी द्वारा विकसित 5 एम डब्ल्यू क्षमता और उससे अधिक लेकिन 50 एम डब्ल्यू क्षमता से कम के किसी नवीकरणीय उत्पादन केंद्र और अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ विद्यमान कनेक्शन प्वाइंट पर उत्पादन प्रणाली की विद्युत प्रणाली के माध्यम से संयोजकता की मांग करना।”

2. विनियम 8 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (1) में दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“परंतु यह और कि विनियम 2 (1)(ख)(i)(ङ) के अधीन परिभाषित आवेदक द्वारा आवेदन पर केवल सीटीयू द्वारा तब विचार किया जाएगा यदि विद्यमान उत्पादन केंद्र, उत्पादन केंद्र की विद्युत प्रणाली के माध्यम से संयोजकता की मांग करने वाले नवीकरणीय उत्पादन केंद्र (केंद्रों) की ओर से ‘प्रधान उत्पादन’ के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है और भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा आयोग के सभी विनियमों जैसे ग्रिड सुरक्षा, अनुसूचीकरण एवं प्रेषण, पारेषण प्रभारों, यू आई प्रभारों, संयोजन तथा अन्य प्रभारों, आदि की वसूली और भुगतान/समायोजन के उपबंधों के अनुपालन में नवीकरणीय उत्पादन केंद्र के लिए सभी परिचलनात्मक एवं वाणिज्यिक उत्तरदायित्वों के लिए लिखित करार/व्यवस्था करता है और उस संबंधित आरएलडीसी, जिसके नियंत्रण क्षेत्र में यह स्थित है, को प्रति सहित संयोजकता के आवेदन सहित सीटीयू को करार की प्रति प्रस्तुत करता है।”

राजीव बंसल, सचिव

[सं. विज्ञापन III/4/असाधारण/150/12]

टिप्पण :- मूल विनियमों को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 140 में तारीख 10.8.2009 को प्रकाशित किया गया था और मूल विनियमों के प्रथम संशोधन को तारीख 7.9.2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 225 में अधिसूचित किया गया था और मूल विनियमों के दूसरे संशोधन को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम सं. 72 में तारीख 22.3.2012 को अधिसूचित किया गया था।